

अलवर

18/3/21

वकीलवादी उपरी वादी को प्रतिवादीगण की तमबी रजिस्ट्रार ए.डी. पेश करे हेतु दिनांक 27/2/18, 20/3/18 को अन्तिम अवसर दिये गये। इसके पश्चात दि 28/07/20 व 4/2/21 तथा 18/2/21 को वादी को प्रतिवादीगण की तमबी रजिस्ट्रार ए.डी. तमबी पेश करे हेतु न्यायद्वारा अन्तिम अवसर दिये गये लेकिन वादी ने प्रतिवादीगण की तमबी रजिस्ट्रार ए.डी. तमबी पेश नहीं किया। अतः वादी का काद अन्तर्गत धारा 09 ROS CPL तहत अदर तकमीक (NON-compliance) से प्राणित किया जाता है। पञ्जावणी नम्बर से काद हेतु काद तकमीक दालिम दफ्तर से सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
अलवर (राज०)

